न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 54/2011

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)		1. भेराराम पुत्र बालुराम 2. नाथूराम पुत्र गोकलराम 3. गंगाराम पुत्र बालुराम कौम-माली, निवासी-बैड़कलां तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 28.02.2011

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 25/05/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण में ख.नं. 537/4 रकबा 15-15 किस्म बा0दो0 की आई हुई है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर खनन कार्य लाईम स्टोन का अवैध रुप से किया जा रहा है। दिनांक 05/02/2011 को खनिज फोरमैन व पटवारी-लौटोती द्वारा संयुक्त रुप से उपरोक्त आराजी का मौका देखा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) ख.नं. 537/4 में अवैध रुप से खनिज लाईम स्टोन के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 7X5X2 मीटर तक मिट्टी हटाई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वितिय हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अवैध रुप से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लंघन किया गया एवं असुरक्षित खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो सकती है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र गय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया।

पत्रावली लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लौटोती पर पेश हुई। प्रति0 ने उपस्थित होकर लिखित में जबाब पेश किया कि उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि को हमने जरिए रजिस्ट्री क्रय की गई थी। उक्त जमीन बंजर व उबड़-खाबड़ होने से हमने उक्त भूमि को काबिल काश्त करने हेतु भूमि पर छोटे-छोटे पत्थरों को हटाकर समतल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

किया, ना कि खनन कार्य किया, वर्तमान में उक्त भूमि काविल काश्त हैं तथा फराल बोई हुई हैं। किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा रहा हैं, जिसे सा0मि0 किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में खनन कार्य नहीं करने से वादी का वाद खारीज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में खनन कार्य नहीं करने से वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–लौटोती पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner